www.pp.glpublications.in

गुवाहाटी, जोरहाट, तिनसुकिया तथा लखीमपुर से एक साथ प्रकाशित

# पूर्वांचल प्रहरी

पूर्वोत्तर का सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला हिंदी दैनिक

• नगर संस्करण

## गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने में जुटी आईसीएसआई : अतुल एच मेहता

फोटो : गुवाहाटी निसं

**गुवाहाटी।** इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) के तत्वावधान में कैपिटल मार्केट्स पर निवेशकों में जागरुकता लाने तथा बेहतर प्रशासनिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देशभर में 25 से 31 मई तक कैपिटल मार्केट्स : द इंजीन फॉर इकोनामिक ग्रोथ शीर्षक थीम पर आईसीएसआई कैपिटल मार्केट्स मनाया गया। इसी कड़ी में गुवाहाटी में आज एक मेगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आईसीएसआई के अध्यक्ष सीए अतुल एच मेहता ने अपने संबोधन ने कहा कि कंपनी सेक्रेटरी को एक समय सीमा के भीतर पेशागत विकास करना करता पड़ता है। उन्होंने कहा कि कोर्पोरेट मामले मंत्रालय ने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज की ओर से विशेषिकृत कर दिए सेक्रेटरियल स्टेंड्स स्तर पर संचालन मंडली (एसएस-1) की बैठक व आम बैठक (एसएस-2) को अनुमोदन किया है। उन्होंने कहा कि कंपनी सेक्रेटरी अब गवर्नेंस प्रोफेशनल के रूप में जाने जाने लगे है तथा कोर्पोरेट बोर्डों को विभिन्न स्टेटेजिक, गवर्नेंस व कंप्लेएंस मामलों में मार्ग दर्शक के रूप में मान्यता प्राप्त ने लगे हैं। मेहता ने कहा कि सेबी एक्ट (एसईबीआई), 1992 के अंतर्गत सेबी द्वारा जारी विभिन्न सुरक्षामूलक कानूनों यथा सिक्यूरिटीज कंट्रोक्ट्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1956, डिपोसिटोर्स एक्ट, 1996, रेगुलेशन्स एंड गाइडलाइन्स तथा क्विटि के लिए स्टॉक एक्सेंज के लिस्टिंग एग्रिमेंट, आईडीआरओं के तहत कंपनी सेक्रेटरियों को कंपनियों का सत्यापन एवं प्रमाण पत्र जारी करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। आईसीएसई के अध्यक्ष मेहता ने आगे कहा कि इंस्टीट्यूट के लिए जुलाई, 2015 से ऐतिहासिक पल होगा कि यह विश्व का पहला ऐसा संस्थान है, जिसे सेक्रेटरियल स्टेंडर्ड प्रदान करने की क्षमता प्राप्त हुई है तथा भारत के आठ लाख कंपनियों को कंपनीज एक्ट, 2013 के तहत सेक्रेटरियल स्टेंडर्ड का निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त होगा। श्री मेहता ने सेक्रेटरियल ऑडिट पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कंपनीज एक्ट, 2013 के तहत अनुच्छेद 134 के उप-अनुच्छेद (3) के नियमानुसार पूंजी 50 करोड़ या टर्न ओवर 250 करोड़ रुपए से अधिक होने वाली प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी व पाब्लिक कंपनी को अपनी बोर्ड रिपोर्ट के साथ परिशिष्ट देना अनिवार्य है। इस अवसर पर असम के मुख्य सचिव जीतेश खोसला (आईएएस) ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेकर आईसीएसआई को कैपिटल मार्केट्स वीक के आयोजन के लिए बर्धा दी। उन्होंने अपने संबोधन में कोर्पोरेट सेक्टर के लिए पूंजी का एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कैपिटल मार्केट्स उभरने की बात कहीं। उन्होंने इसे आर्थिक विकास के लिए साकारात्मक दिशा बताई। मालूम हो कि मेहता बीते कल आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आईसीएसआई देश के के साथ विदेश दुबई, सिंगापुर में भी अपनी शाखा खोलना चाहती है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में जल्द ही अपनी शाखा का विस्तार करेगी। ताकि पूवोत्तर के युवापीढ़ी आईसीएसआई के जरिए कम खर्च व कम समय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर रोजगार पा सके। इसको ध्यान में रखते हुए गुवाहाटी के जीएस रोड स्थित नवीन नगर में जल्द ही अपनी शाखा खोलेगी। इसके लिए कंपनी भूमि खरीद चुकी है और जल्द ही भवन का निर्माण करेगी। इस संस्थान के तहत गुवाहाटी में 4000 तथा पूरे भारत में 400000 से अधिक विद्यार्थी कंपनी सेक्रेटरी की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस संस्थान के विस्तार के लिए सरकार ने भोपाल में 100 एकड़ भूमि आवंटित करा चुकी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के साथ मिलकर यह संस्था पंचायती राज पर काम करेगी इसके साथ ही यदि यह पहल सही साबित हुआ तो असम में भी असम सरकार के साथ मिलकर इस तरह के कार्य करेगी। इस अवसर पर आईसीएसआई के पूर्वोत्तर चैप्टर के अध्यक्ष सीएस पंकज जैन, उपाध्यक्ष सीएस बिमान देवनाथ भी उपस्थित थे। (एसं)